अध्याय XVII : जनजातीय कार्य मंत्रालय

17.1 अनुदान का अधिक निर्गम

मंत्रालय ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ए.आ.आ.वि.) की स्थापना की योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के प्रस्ताव का मूल्यांकन करते समय उचित सचेतना लागू करने में विफल रहा। परिणामस्वरूप, इसने राज्य में दो ए.आ.आ.वि. में वास्तविक छात्र संख्या की गणना किए बिना अनुदानें जारी की जो ₹2.21 करोड़ के अधिक निर्गम का कारण बनी।

भारत सरकार ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदानों सहित राज्यों/सं.शा.क्षे. में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ए.आ.आ.वि) की संस्थापना हेतु संशोधित दिशानिर्देश जारी किए (जून 2010)। ए.आ.आ.वि. का उद्देश्य दूरवर्ती क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के छात्रों को उच्च एवं व्यावसायिक शैक्षणिक पाठ्यक्रमों तथा सरकारी एवं सार्वजनिक/निजी क्षेत्रों में नौकरियों में आरक्षण प्राप्त करने हेतु उनको समर्थ बनाने के लिए गुणवत्ता, माध्यमिक तथा उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करना है। इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत, विद्यालय की कुल संस्वीकृत संख्या 480 छात्रों की होनी चाहिए थी तथा विद्यालयों के प्रथम वर्ष के दौरान आवर्ती लागत को ₹42000 प्रति बच्चे की दर पर निर्धारित किया गया था। तदनुसार, मंत्रालय को अधिकतम 480 छात्र प्रति ए.आ.आ.वि. हेतु अनुदानें प्रदान करनी थी।

आन्ध्र प्रदेश सरकार ने 2012-13 हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया (जुलाई 2012) जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 10 ए.आ.आ.वि. की निरंतरता (₹2461.20 लाख), हाल में संस्वीकृत दो ए.आ.आ.वि. की आवर्ती लागत तथा ₹6958.99 लाख की कुल अनुमानित लागत पर राज्य में उच्च विद्यालयों में फर्नीचर प्रदान करना भी शामिल था।

लेखापरीक्षा जांच ने उजागर किया कि प्रस्ताव का मूल्यांकन करते समय मंत्रालय दो ए.आ.आ.वि. की वास्तविक छात्र संख्या की गणना करने में विफल

रहा तथा इसकी बजाय अनुदानें संस्वीकृत की जो 480 की अधिकतम छात्र संख्या हेतु स्वीकार्य थी तथा निम्नलिखित ब्यौरों के अनुसार सितंबर 2012 में अनुदान के 75 प्रतिशत की प्रथम किश्त जारी की:

ए.आ.आ.वि. का स्थान	अधिकतम स्वीकार्य संख्या	वास्तविक संख्या	जारी राशि (75 प्रतिशत)	स्वीकार्य राशि (₹42000x180x75 प्रतिशत)	अधिक निर्गम (₹ में)
जी.वी. वीधी बालक, जिला विशाखापत्तनम	480	168	15120000	5292000	9828000
डोर्नाला (बालिका), जिला प्रकासम	480	90	15120000	2835000	12285000
				कुल	**22113000**

लेखापरीक्षा में यह इंगित किया गया था (दिसंबर 2014) कि मंत्रालय प्रस्ताव का मूल्यांकन करते समय निर्धारित दिशानिर्देशों का अनुपालन करने में विफल रहा तथा राज्य सरकार को स्वीकार्य अनुदान का गलत प्रकार से परिकलन किया जो ₹2.21 करोड़ के अधिक निर्गम का कारण बना।

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2015) कि 2012-13 के दौरान संस्वीकृत राशि के 75 प्रतिशत के बाद राज्य सरकार को आगे कोई निर्गम नहीं किए गए थे तथा इसलिए वर्ष के दौरान राज्य सरकार को प्रदान कुल राशि अनुज्ञेय सीमा के भीतर थी।

उत्तर स्पष्ट रूप से एक बाद का विचार है तथा लेन-देन के समय पर अभिलेखों द्वारा समर्थित नहीं है। इसके अतिरिक्त, बाद की अवधि के मंत्रालय के अभिलेखों ने दर्शाया कि इसने वास्तव में अनुवर्ती निर्गमों से लेखापरीक्षा द्वारा इंगित अधिक निर्गम का समायोजन करने की मांग की थी। मंत्रालय का यह कार्य लेखापरीक्षा मुद्दे की पुष्टि करता है।